UPHR010049302026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, हरदोई।

उपस्थितः रीता कौशिक, एच०जे०एस०

(J.O. Code U.P.5728)

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–2351/2026

सीपू पुत्र सुनील रैदास निवासी गुरसन्डा, थाना टड़ियावां, जिला हरदोई।

---------- आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार ---------- विपक्षी।

दिनांक:–20.07.2026

1. यह जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त सीपू की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–186/2026 ,अं०धारा–303(2), 317(2) बी०एन०एस०,थाना अतरौली, जनपद हरदोई के प्रकरण में जमानत पर रिहा किये जाने की याचना सहित प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है।

2. जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में आवेदक/अभियुक्त की पैरोकार सुशीला का शपथपत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र न तो माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल है न ही विचाराधीन ही है।

3. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा सुधांशू की ओर से थाना स्थानीय पर इस आशय की तहरीर देकर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी गयी कि दिनांक 02.06.2026 को समय करीब सांय काल 05.00 बजे, प्रार्थीकी मोटरसाइकिल नं० UP30BP3383 स्पलेंडर अज्ञात व्यक्ति द्वारा दरवाजे से उठा ले गये है।

4. आवेदक/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र पर बल देते हुए यह तर्क प्रस्तुत किये गये है कि उसको उक्त मुकदमें में रंजिशन झूठा फंसाया गया है। उसने मोटरसाईकिल चोरी नहीं की न उसके पास से कोई मोटरसाइकिल बरामद हुई है। उसके घर से पकड़ कर थाने में खड़ी मोटरसाइकिल व पहले से दर्ज अज्ञात मुकदमें में फर्जी बरामदगी दर्शाकर उसको गलत फंसा दिया गया है। वह निर्दोष है। उस पर जो मुकदमें लगाये गये है,अपराध संख्या 183/2026 में उसकी जमानत हो चुकी है। वह लगभग सवा महीने से जेल में है। अतः जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

Digitally signed by REETA KAUSHIK
Date: 2026.07.20 15:14:10 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

5. अभियोजन पक्ष की तरफ से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा आवेदक/अभियुक्त के जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

6. जमानत प्रार्थनापत्र के निस्तारण हेतु मैंने आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा प्रस्तुत विद्वतापूर्ण तर्कों को सुना तथा केस डायरी का परिशीलन किया।

7. अभियोजन कथानक के अनुसार आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध आरोप है कि आवेदक/अभियुक्त व सह–अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा की मोटरसाइकिल पंजीयन संख्या UP30BV4494 चोरी की गयी। पुलिस पार्टी द्वारा आवेदक/अभियुक्त व अन्य सह–अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया तो उनके कब्जे से उक्त प्रकरण से संबंधित मोटरसाइकिल बरामद की गयी। कथित बरामदगी का कोई स्वतन्त्र जनसाक्षी होना नहीं कहा गया है। अभियोजन की ओर आवेदक/अभियुक्त का इस प्रकरण के अतिरिक्त तीन अन्य मुकदमों का अपराधिक इतिहास प्रस्तुत किया गया है किन्तु किसी भी मुकदमें में उसे दोषसिद्ध होना नहीं कहा गया है तथा उक्त मुकदमें भी इस प्रकरण की फर्द से संबंधित है। आवेदक/अभियुक्त इस प्रकरण में दिनांक 12.06.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार, हरदोई में निरूद्ध है।

8. मामले के तथ्यों, परिस्थितियों, उपलब्ध साक्ष्य, अपराध की प्रकृति एवं उसमें प्रावधानित दण्ड को दृष्टिगत रखते हुए, मामले के गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना, मेरी राय में आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने हेतु आधार पर्याप्त है। आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **सीपू** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा मुबलिग **50,000/– (पचास हजार रूपये)** का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि की एक जमानत सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर दाखिल किये जाने एवं निम्न शर्तों के अधीन अण्डरटेकिंग दाखिल करने पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है–

1. आवेदक/अभियुक्त विचारण में सहयोग करेगा तथा प्रत्येक तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होगा।
2. आवेदक/अभियुक्त आरोप तथा बयान अन्तर्गत धारा 351 बी०एन०एस०एस० जैसी सारवान तिथियों पर विचारण न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होगा।
3. आवेदक/अभियुक्त किसी साक्षी को प्रलोभित व प्रकोपित नहीं करेगा।
4. आवेदक/अभियुक्त जब भी अपना अस्थाई व स्थाई पता परिवर्तित करेगा तो इसकी सूचना सम्बन्धित न्यायालय को देगा।

5. आवेदक/अभियुक्त किसी भी प्रकार के अपराध में संलिप्त नहीं होगा तथा न्यायालय की अनुमति के बगैर देश छोड़कर विदेश नहीं जाएगा।

आवेदक/अभियुक्त द्वारा उपरोक्त शर्तों में से किसी भी एक शर्त का उल्लंघन किये जाने की दशा में अभियोजन पक्ष जमानत निरस्त कराने के लिए स्वतंत्र होगा।

दिनांकः 20.07.2026

(रीता कौशिक)
सत्र न्यायाधीश,
हरदोई।